

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा./55/2017

दर्ज दिनांक:-14.07.2017

खैमसिंह पुत्र ख्यालीराम निवासी सैह तहसील व जिला भरतपुर।

.....वादी

**बनाम**

- |                          |   |                      |   |  |
|--------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1. महेन्द्रसिंह          | } | पुत्रगण स्व० मानसिंह | } | जाति लोधा निवासीयान बझेरा<br>तहसील व जिला भरतपुर |
| 2. धारा                  |   |                      |   |  |
| 3. मुनेश                 |   |                      |   |  |
| 4. माया पत्नि धारा       | } | पिसरान स्व. अमरसिंह  |   |  |
| 5. रामाबू                |   |                      |   |  |
| 6. हुकमसिंह              |   |                      |   |  |
| 7. किशनसिंह पुत्र तोलईया |   |                      |   |  |

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित:

दिनेश शर्मा

वादी अभिभाषक

**निर्णय**

दिनांक:-28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। मूलदावा विद्धो किये जाने पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. भी प्रार्थी द्वारा विद्धो किये जाने पर खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी पूर्व एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 14.07.2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

Web Copy - Not Official (SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर